

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र सतर्कता अनुभाग

डाक : केट इन्दौर – 452 013 जनवरी **१०**,2017

सन्दर्भ: 8/1/2017/सतर्कता/1760

परिपत्र

विषयः अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लामार्थियों द्वारा आधार कार्ड की स्व—सत्यापित छायाप्रति एवं पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो जमा करवाने बाबत्।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के समस्त कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों से निवेदन है कि वे प्रत्येक लाभार्थी के पासपोर्ट आकार के एक रंगीन फोटो के साथ ही पहचान के प्रमाण—स्वरूप आधार कार्ड की स्व—प्रमाणित छायाप्रति दिनांक 09.02.2017 तक जमा करवाएँ। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का नम्बर फोटो के पृष्ठ भाग के साथ ही आधार कार्ड की छायाप्रति पर भी इंगित करें। उक्त दस्तावेज़ उचित माध्यम के द्वारा प्रशासन में सौंप दिए जाएँ।

उक्त उल्लिखित दस्तावेज़ अति आवश्यक हैं एवं इनके जमा न करने पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों की चिकित्सा सुविधा बन्द कर दी जाएगी। फोटो एवं आधार कार्ड की छायाप्रति का संग्रहण विभागीय प्रशासनिक स्टाफ़ द्वारा किया जाएगा।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कमलेश कुमार रम्बाडिया) सहायक कार्मिक अधिकारी (सतर्कता)

सभी सूचनापट्ट सभी को ई—मेल

प्रतिलिपि:

- 1. अध्यक्ष, एसीआरएमसी, राराप्रप्रौके
- 2. प्रभारी, चिकित्सा केन्द्र, राराप्रप्रौके
- 3. प्राचार्य, परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय, राराप्रप्रौके
- 4. क्षेत्रीय निदेशक, इन्दौर क्षेत्रीय क्रय एवं भण्डार इकाई, इन्दौर
- 5. निदेशक कार्यालय, राराप्रप्रौके



Government of India Department of Atomic Energy Raja Ramanna Centre for Advanced Technology Vigilance Section

Post: CAT Indore: 452 013 January **30**, 2017

Ref. 8/1/2017/Vig/1760

Circular

<u>Subject: Submission of self-attested copy of Aadhaar Card and a colour passport</u> <u>size photo by CHSS beneficiaries reg.</u>

All employees and retirees who are members of Contributory Health Service Scheme are requested to submit a colour passport size photograph along with self-attested copy of Aadhaar Card as proof of Identity of each of their CHSS beneficiaries before 09.02.2017. CHSS No. may be indicated on the backside of the photograph as well as the copy of Aadhaar Card. The same may be handed over to the Administration through proper channel.

The above mentioned requirements are very much necessary and delay in submission will be at the cost of stoppage of CHSS facility to the dependent beneficiary. Collection of the photos/documents will be made by the Divisional Administrative Staff.

This issues with the approval of Competent Authority.

(Kamlesh Kumar Rambadia) Assistant Personnel Officer (Vigilance)

All Notice Boards Mail all

Copy to:

- 1. Chairman, Advisory Committee for RRCAT Medical Center, RRCAT
- 2. In-charge, Medical Centre, RRCAT
- 3. Principal, Atomic Energy Central School, RRCAT
- 4. Regional Director, Indore Regional Purchase & Stores Unit, RRCAT
- 5. Office of Director, RRCAT